तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2436/2006/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
2– अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः04.02.2026

यह रेफरेंस अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में पारित निर्णय दिनांक 06–03–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, मकराना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार, मकराना के ग्राम बोरावड़ के खसरा नं0 206 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 पायतन मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 में दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आदेश दिनांक 22–05–1975 के अनुसार मूलाराम पुत्र फवाईदान कौम ढोली के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 452 दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के अनुसार अप्रार्थी मूलाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा अप्रार्थी को जो खातेदारी प्रदत्त की गयी है वह प्रारम्भ से ही शून्य है। इसलिए नामान्तरकरण सं0 452 खारिज योग्य है। अतः उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेश पर स्वीकृत नामान्तरकरण खारिज कर पूर्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2436/2006/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति बहाल कर राजकीय भूमि दर्ज की जावें। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत राजकीय भूमि अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। 3– अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगवाई गई लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया है कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म पायतन दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया। 5– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया। 6– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार मौजा बोरावड के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2436/2006/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2008 में खसरा नं0 206 व 206/1 गै0मु0 नाड़ी नाकाबिल काश्त दर्ज थी। नामान्तरकरण सं0 452 मौजा बोरावड़ के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आदेश दिनांक 22–05–1975 के अनुसार खसरा नं0 206 में से 6.05 बीघा भूमि मंगाराम पुत्र फवाईदान एवं 6.05 बीघा मूलाराम पुत्र फवाईदान ढोली के नाम स्वीकार किया गया है जो निमयन से स्वीकृत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में अप्रार्थी मूलाराम सा0देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी नाड़ी व पायतन दर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं किन्तु प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पक्ष में अविधिक रुप से किया गया है। 7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ‘‘राजकीय सिवायचक’’ किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– “4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 8– इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– 16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2436/2006/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 9– प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजकीय सिवायचक की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। 10– अतः उपरोक्त परिस्थिति में अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। 11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाकर ग्राम बोरावड़ के खसरा नं0 206 मिन रकबा 6.05 किस्म बारानी दोयम को अप्रार्थी के खाते से निरस्त करते हुए आदेश दिये जाते है कि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें तथा उक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2436/2006/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– आदेश की सूचना उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 13– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	